

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
06-05-2025	<p>आज यह पत्रावली प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे।</p> <p>वकील प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशीं तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह तहसील अनूपगढ़ की वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक-5 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.-18 का पत्थर नं.-200/17 का किला नं.-1 ता 25 कुल भूमि 6.199 हैक्टर कृषि भूमि पर आगामी तारीख पेशीं तक प्रार्थी के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाकर रखें।</p> <p>सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलवी हेतु तलवाना नोटिस रजि. ए.डी के पेश करे। बहस हेतु अवसर मांगने पर एतराज होने पर यह स्थगन आदेश निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा। रजि. ए.डी. नोटिस पेश नहीं करने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 63 (1) के तहत प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी पर निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली आईन्दा दिनांक-02.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सुरेश राव उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p>	

21/6/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी 2 पक्षीय बहस। नोटिस तलब हुआ। नोटिस तलब से बचना निया। प्रार्थी बहस। का नोटिस तलब प्राप्त जावेगा।



महामनी का. 2 को ज्ञात कर दी पर पर
तलमी हेतु मरिदा दिनांक 11/9/25
को पेश था

11 $\frac{7}{25}$ पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक...19/8/25
को पेश हो।

19/8/25 पत्रावली प्रस्तुत वकील साहब महामनी
का. 2 को तलमी हेतु तलमाना को पेश
पेश रद्द पत्रावली दिनांक 15/9/25 को
पेश था

15 $\frac{9}{25}$ पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक...17/10/25
को पेश हो।

17 $\frac{10}{25}$ पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक...18/11/25
को पेश हो।

18 $\frac{11}{25}$ पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक...18/12/25
को पेश हो।

18 $\frac{12}{25}$ पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक...29/11/26
को पेश हो।

29 $\frac{1}{26}$ पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक...27/2/26
को पेश हो।

तारीख हकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/दिनांक
<p>27²/₂₀₆</p>	<p>फनाबली प्रसूत्य बडील हाफी मय/ बडील हाफी ने न्यायालय से निवेदन गिया कि इल तक्ररुण मे हाफी न प्रहाफी से लोक अफालत नी जावना से राजीमाना हो गया। तथा हाफी इल प्रकरण मे त्रेर अपवादी पद्य वाइता है। प्रवः हाफी न हापउ खानिल गिया जाव है। फनाबली निपवानुमाए करिल दपट डेकट दल गम्बट मे इग</p> <p>थो ✓ सुरेश राव उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p>	<p>अल इकरा मे हाफी का भ्रष्टाचरिण है लोक प्रदासतकि आकना मे राजीमाना हो गया है। हाफी प्रव प्रकरण मे कोहि कार्यवाही नही चाइता है। दरुनिसिंह परमानकरा समुद्र (सजमे उत्रा)</p>